

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सूचना सं० 17/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2020

सा.का.नि.....(अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करती है कि उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, और निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे अर्थात्:-

(क) व्यक्ति;

(ख) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;

(ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और

(घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार